रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-13082025-265389
CG-CG-E-13082025-265389

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3580] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 12, 2025/श्रावण 21, 1947
No. 3580] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 12, 2025/SHRAVANA 21, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलव)

अधिसूचना

रायपुर, 11 अगस्त 2025

का.आ. 3672(अ).—केन्द्रीय सरकार रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि, (जिसका संक्षिप्त विवरण इस अधिसूचना, से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है), छत्तीसगढ राज्य के बिलासपुर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात, **द.पू.म. रेलवे के दाधापारा रेलवे स्टेशन के पास (दाधापारा समपार क्रमांक 369), गांव –नगर पंचायत बोदरी, तहसील –बोदरी, (जिला–बिलासपुर) में प्रस्तावित रोड अंडर ब्रिज पहुंच मार्ग निर्माण रेल लाईन कनेक्टिविटी''** के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप–धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के सम्बन्ध में आक्षेप कर सकेगा।

पूर्ववर्ती पैरा में विनिर्दिष्ट प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात, **अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बिल्हा जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़** को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे

तथा ऐसा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपो की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जॉच, यदि कोई हो तो, करने के पश्चात, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा आक्षेपो को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनिमय की धारा 20घ की उप–धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिला अंतर्गत अनुविभाग बिल्हा में वि□ीश रेल परियोजना, अर्थात् दाधापारा रेलवे स्टेशन के पास (दाधापारा समपार कमांक 369), ग्राम नगर पंचायत बोदरी, तहसील –बोदरी, जिला–बिलासपुर में प्रस्तावित रोड अंडर ब्रिज पहुंच मार्ग निर्माण रेल लाईन कनेक्टिविटी'' के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरणः–

क. सं.	जिले का नाम	तहसील का नाम	ग्राम/ निवास का नाम	प्रस्तावित खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टयर मे (प्रस्तावित अर्जन का रकबा)	जिस वास्ते ली जा रही है
1	बिलासपुर	बोदरी	बोदरी (म.नं. 03)	132/1	0.0298	रोड अंडर ब्रिज पहुंच मार्ग
2	बिलासपुर	बोदरी	बोदरी (म.नं. 03)	132/2 133/1 133/2 134/2 134/3	0.4603	रोड अंडर ब्रिज पहुंच मार्ग
3	बिलासपुर	बोदरी	बोदरी (म.नं. 05)	158/1	0.2139	रोड अंडर ब्रिज पहुंच मार्ग
4	बिलासपुर	बोदरी	बोदरी (म.नं. 05)	159	0.2440	रोड अंडर ब्रिज पहुंच मार्ग
5	बिलासपुर	बोदरी	बोदरी (म.नं. 05)	160	0.0880	रोड अंडर ब्रिज पहुंच मार्ग
6	बिलासपुर	बोदरी	बोदरी (म.नं. 05)	161	0.0172	रोड अंडर ब्रिज पहुंच मार्ग
योग					**1.0532**	

कुल भूमि– 1.0532 हैक्टेयर

[फा. सं. द.पू.म.रे./रा./इंजी./3एलएस/201/भू.अ./आर.यू.बी/स.फा. 369/20क]

मुदित भटनागर, प्रमुख मुख्य इंजीनियर,
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर

MINISTRY OF RAILWAYS

(South East Central Railway)

NOTIFICATION

RAIPUR, 11th August, 2025

S.O. 3672(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, brief description of which has given in the schedule annexed here to, is required for the execution maintenance, management and operation of the Special Railway Project, namely, **"Construction of Road under bridge approach road proposed near Dadhapara Railway station (Dadhapara Level Crossing no. 369), village-Nagar Panchayat Bodri, tehsil-Bilha (District-Bilaspur)"** policy of Ministry of Railways. Here by declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every objection shall be made to the competent authority, namely, **Sub-Divisional Officer, (Bhu-Arjan Adhikari) Bilha, Chhattisgarh** in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority for Land Acquisition (CALA) thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority for Land Acquisition (CALA).

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for Special Railway project namely, "Construction of Road under bridge approach road proposed near Dadhapara Railway station (Dadhapara Level Crossing no. 369), village-Nagar Panchayat Bodri, tehsil-Bilha (District-Bilaspur)" of the State of Chhattisgarh.

Village Bodri, Tehsil- Bodri District Bilaspur Chhattisgarh, Road under bridge approach road						
SN	District	Tehsil	Village	Khasra/ plot Number	Area to be acquired (in Hect.)	Reason for land acquisition
1	Bilaspur	Bodri	Bodri M.N. 03	132/1	0.0298	Road under bridge approach road
2	Bilaspur	Bodri	Bodri M.N. 03	132/1 133/1 133/2 134/2 134/3	0.4603	Road under bridge approach road
3	Bilaspur	Bodri	Bodri M.N. 05	158/1	0.2139	Road under bridge approach road
4	Bilaspur	Bodri	Bodri M.N. 05	159	0.2440	Road under bridge approach road

5	Bilaspur	Bodri	Bodri M.N. 05	160	0.0880	Road under bridge approach road
6	Bilaspur	Bodri	Bodri M.N. 05	161	0.0172	Road under bridge approach road

Total Land- 1.0532 Hectare

[F. No. SECR/R/Engg./3LS/201/LA/RUB/LC369/20A]

MUDIT BHATNAGAR, Principal Chief Engineer,
South East Central Railway, Bilaspur

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.08.13 11:53:33 +05'30'